मा0 उच्च न्यायालय के आदेश/तत्काल/ई–मेल द्वारा
संख्या–142डब्ल्यू0(1)/नौ–7–16–197(रिट)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक 6/3 फरवरी, 2016

विषय जनहित याचिका संख्या–42463/2015, कुमारी जोया जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष अनुपालन आख्या योजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–755रिट(2)/नौ–7–15–197(रिट)/2015, दिनांक 16.10.15 एवं पत्र संख्या–755रिट(3)/नौ–7–15–197(रिट)/2015, दिनांक 04.11.2015, पत्र संख्या–755रिट(4)/नौ–7–15–197रिट/2015, दिनांक 04.01.2016 एवं पत्र संख्या–167/नौ–7–16–197(रिट)/2015, दिनांक 20.01.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त जनहित याचिका संख्या–42463/2015, कुमारी जोया जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन में अपने मण्डल/जनपद मे स्थित नागर निकायों के सम्बन्ध में **"उ0प्र0 पार्क, प्ले–ग्राउण्ड एण्ड ओपेन स्पेस (प्रिजर्वेशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1975 तथा "उ0प्र0 पार्क, प्ले–ग्राउण्ड एण्ड ओपेन स्पेस (रेगुलेशन एण्ड कन्ट्रोल) नियमावली, 2005"** के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार पार्को, प्ले–ग्राउण्डस एवं ओपेन स्पेसेस की सूची तैयार कर निदेशक स्थानीय निकाय को तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेख किया जाना है कि उक्त जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.02.2016 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:–

"A status report has been filed by the Special Secretary, Urban Development Department. The status report indicates the following position in regard to the information compiled so far by the State Government:-

Sl. N0.	Local Bodies	No. of Local bodies	No. of local Bodies that furnished information	Parks	Open Spaces	Playgrounds
1	Nagar Nigam	14	13	5496	84	18
2	Nagar Palika Parishad	197	89	667	1391	20
3	Nagar Panchayat	426	189	113	2172	60
	Total	637	291	6276	3617	98

The information indicates that 13 out of 14 Nagar Nigams have furnished information about the parks, open spaces and playgrounds within their boundaries. However. only 89 out of 197 Nagar Palika Parishads and 189 out of 426 Nagar Panchayats have done so. Further, the Development Authorities and Awas Vikas Parishads have yet to furnish the information sought by the Director, Local Bodies.

We now issue a peremptory order to the effect that if there is any breach on the part of any Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad and Nagar Panchayat to comply with the directions issued by this Court and to furnish information to the Director, Local Bodies, this Court would be constrained to invoke the contempt jurisdiction against the concerned Municipal Commissioner or as the case may be, Chairman under the Contempt of Courts Act, 1971. A copy of this order shall be made available by the

nagarvikas@gmail.com 2016

Director, Local Bodies to each one of the Nagar Nigams, Nagar Palika Parishads or As the case may be, Nagar Panchayats which are yet to comply. Similarly, the order shall be made available to the Development Authorities and Awas Vikas Parishad with a similar caution that this Court would be constrained to invoke the coercive arm of the law in the event of any default. The responsibility for compliance shall be placed on the highest Executive Officer of all the local authorities. We grant a further period of three months for the completion of the process.

In the meantime, we direct that necessary steps in terms of Section 3 of the Uttar Pradesh Parks, Playgrounds and Open Spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975 shall be initiated by the State Government in respect of all the local authorities which have furnished information in regard to parks, playgrounds and open spaces in their respective areas. The process in regard to those local bodies where information has already been submitted shall be complied in the meantime in terms of the provisions of the Act without waiting for complete compliance by all the other local authorities. The petition shall now be placed under the same caption on 24 May 2016.

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 31.07.2015 एवं 26.10.2015 के अनुपालन में प्रदेश के जिन नागर निकायों यथा–नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, आवास विकास परिषदों एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा अभी तक वांछित सूची/विवरण निदेशक, स्थानीय निकाय को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, उन्हें मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.02.2016 की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करते हुए यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे कृपया मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक 16.02.2015 के अनुपालन में अपने अधिकारिता के क्षेत्रों में स्थित पार्कों, प्ले–ग्राउण्डस एवं ओपेन स्पेसेस की सूची **"उ0प्र0 पार्क, प्ले–ग्राउण्ड एण्ड ओपेन स्पेस (प्रिजर्वेशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1975 तथा "उ0प्र0 पार्क, प्ले–ग्राउण्ड एण्ड ओपेन स्पेस (रेगुलेशन एण्ड कन्ट्रोल) नियमावली, 2005"** के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आपको अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करे तथा आप द्वारा समेकित सूची शासन को शीघ्र उपलब्ध करायी जाये, ताकि मामले की सुनवाई की अगली तिथि 24.05.2016 के पूर्व वस्तुस्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

08/3/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

nagarvikas@gmail.com 2016